

# न्यायालय अपीलार्थी अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/198/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021/474

**अपीलार्थी**  
श्री बजरंगसिंह पुत्र नोबतसिंह,  
ग्राम-विजयनगर, पो0 खूंदरोठ,  
तहसील-नीमराना, जिला-अलवर (राज.)-301704

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 08.11.2021


प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 06.12.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 07.09.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांक: 01.09.2021 को प्रस्तुत शिकायत के परिप्रेक्ष्य में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही बाबत सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 25.10.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक: 2112 दिनांक: 29.11.21 के माध्यम से प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांक: 2213 दिनांक: 25.11.21 के माध्यम से प्राप्त सूचना अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए इस न्यायालय को प्रति प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत आर.टी.आई. अपील अंतर्गत अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 07.09.21 के परिप्रेक्ष्य में प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट अलवर को की गई कार्यवाही से विलम्ब से अवगत कराया गया है जो उचित नहीं है।
7. तथापि अपीलार्थी को इस लोक प्राधिकरण अंतर्गत वांछित सूचना से अवगत कराया जा चुका है। उक्त आलोक में अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। साथ ही प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में RTI आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में अतिविरत सूचना प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर को भी प्रेषित हो।
9. आज दिनांक: 06.12.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।।





(नन्नूमल पहाड़िया)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर, अलवर